

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

5.	परियोजना/स्कीम का स्थान-	जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400के0वी0 ली0लो0 ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को लीज पर दी गयी आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव
I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
II	जिला	सोनभद्र
III	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	7.5118हे0
V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
VI	हरियाली का घनत्व	0.10
VII	अखण्डित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणी-वार	अखण्डित क्षेत्र में 400के0वी0 ली0लो0 ओबरा विद्युत पारेषण लाईन वर्ष 1999 से निर्मित है, जिस पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं है।
VIII	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ संलग्न करें)	नहीं
6	क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
7	पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों की अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्न की जानी है।)	संलग्न है।
8	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788.00 वर्ग किलोमीटर।
II	जिले का वन क्षेत्र	3782.86वर्ग किलोमीटर
III	1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामले की संख्या के साथ	69 मामले/793.744हे0
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	842.754हे0
ख	वनेत्तर भूमि पर	-

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

V	दिनांक-31.07.2021 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	
ख	वनेतर भूमि पर	842.754 हे०
9	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को भारत सरकार के पत्र संख्या-8वी /04/1962 /98 /एफ०सी० दिनांक-08.03.1999 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन का आदेश संख्या जी०आई० 322/14- 2-99-700(2) 97 दिनांक -01.10.1999 द्वारा 400के० वी० ली० लो० ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे० वन भूमि 20 वर्षों की लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक-01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० को 400 के० वी० ली० लो० ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968 हे० (धारा 4 में अधिसूचित भूमि को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 19.968 हे० के बजाय 7.518 हे० है। वर्तमान में उक्त लाईन में प्रभावित होने वाली 7.5118 हे० वन भूमि को पुनः 37 वर्षों के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रश्नगत वन भूमि पर पूर्व से 400के० वी० ली० लो० ओबरा विद्युत पारेषण लाईन निर्मित है, जिसको कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० को मूल प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। अतः नवीनीकरण प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि 23.10.2021 स्थान ओबरा

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र